

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 151/2008/भीलवाड़ा.
2. अपील संख्या - 152/2008/भीलवाड़ा.
3. अपील संख्या - 153/2008/भीलवाड़ा.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, भीलवाड़ा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स रतनगिरी टैक्सटाईल लिमिटेड, भीलवाड़ा.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री ओ. पी. दोसाया, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09/02/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा उपरोक्त तीनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 69, 74 व 70/RST/06-07 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 11.10.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विशेष वृत, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2002-03, 2003-04 व 2004-05 (12.07.2004 तक) के लिये राजस्थान टैक्स ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इन्टु लोकल एरियाज एक्ट, 1999 (जिसे आगे 'प्रवेश कर अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 12, 14, 15, 16 व 17 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 20.09.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किया है।

2. इन तीनों प्रकरणों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान निहित होने से तीनों अपीलों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2002-03, 2003-04 व 2004-05 (12.07.2004 तक) के नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.10.2005 को एकतरफा पारित किये गये थे। उक्त आदेशों को रिओपन करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण

लगातार.....2

31

कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये गये कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त पुनः आदेश पारित किये जावें। उक्त निर्देशों की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तीनों वर्षों के पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.09.2006 को पारित करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध प्रवेश कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण इस आधार पर किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा स्थानीय क्षेत्र के बाहर से माल की खरीद की गयी है, जिस पर प्रवेश कर की देयता बनती है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2007 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

5. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त अवधि में प्रवेश कर अधिनियम के तहत स्थानीय क्षेत्रों में फ़ेब्रिक्स की खरीद पर प्रवेश कर का आरोपण किया गया था जबकि व्यवहारी द्वारा यह बताया गया था कि उनके द्वारा स्थानीय क्षेत्र से बाहर से किसी तरह की माल की खरीद नहीं की गयी थी बल्कि स्थानीय क्षेत्र के भीतर स्थित पंजीकृत व्यवहारियों से ही माल की खरीद बिक्री की गयी थी परन्तु कर निर्धारण अधिकारी के आदेश में इस बिन्दु का बिना कोई खण्डन किये, यह उल्लेख किया गया कि - "व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत जवाब, रेकार्ड एवं विवरण पर गौर किया गया जिस के अनुसार आलौच्य अवधि में '-रूपये-' की बिक्री स्थानीय क्षेत्र के बाहर से गमनागमन होने के कारण प्रवेश कर दायित्व बनता है एवं शेष पर छूट स्वीकार की जाती है।"

6. कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से यह प्रतीत होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया गया कि कौनसा माल स्थानीय क्षेत्र के बाहर से प्राप्त हुआ था क्योंकि प्रवेश कर अधिनियम के तहत स्थानीय क्षेत्र के बाहर से प्रवेश कराने वाले माल पर ही प्रवेश कर का दायित्व बनता है। इस प्रकरण में प्रत्यर्थी की ओर से जो जवाब प्रस्तुत किया गया था, उसका अवलोकन करने पर पाया कि उन्होंने यह स्पष्ट बताया था कि अपीलार्थी द्वारा सभी तरह का फिनिशड एवं ग्रे फ़ेब्रिक वहां की स्थानीय प्रोसेस हाउस जैसे A.K. Spintex, BPL, Charbhujja Processors, Ratangiri (India) Ltd., Sangam Spinners एवं Sarvodaya Suiting नामक फ़र्म से खरीद किया गया था एवं यह सभी प्रोसेस हाउस एवं सिन्थेटिक युनिट्स उसी पंचायत

लगातार.....3





समिति में स्थित है, जिसमें अपीलार्थी की फर्म स्थित है। इस तरह उनके द्वारा लोकल एरिया में ही खरीद की जाने से उनकी खरीद पर कोई प्रवेश कर का दायित्व नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अपने जवाब में यह भी बता दिया गया था कि जिन विक्रेताओं से माल खरीद किया गया है उन प्रोसेस हाउस द्वारा माल अन्य क्षेत्रों से प्राप्त होने पर प्रवेश कर चुकाया गया है परन्तु इस बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में केवल तथ्यात्मक बिन्दु पर ही यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी फर्म पर प्रवेश कर का दायित्व नहीं था। अतः केवल इस बिन्दु पर ही व्यवहारी पर किसी भी तरह का प्रवेश कर दायित्व नहीं होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसमें कोई त्रुटि नहीं है। उक्तानुसार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3(2) सपठित नियम 12(1) में प्रत्यर्थी का दायित्व नहीं होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित किये गये कर, ब्याज एवं शास्ति को अपास्त किये जाने सम्बन्धी अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

8. निर्णय सुनाया गया।



(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य



(के. एल. जैन)
सदस्य